



दून विश्वविद्यालय,
केदारपुर, पो0ऑ0– डिफेन्स कालोनी, देहरादून
<https://www.doonuniversity.ac.in>
दूरभाष नम्बर– 0135 2533136, 0135 2533105
फैक्स नम्बर– 0135 2533115
E-mail- recruitment@doonuniversity.ac.in

भर्ती विज्ञापन सं0 – 131/424 (I) /कु0का0/2023 दिनांक 22 फरवरी 2023

दून विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण (Non-teaching) पदों के लिए भर्ती

दून विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर-शिक्षण (Non-teaching) पदों पर भर्ती के लिए सुसंगत योग्यता/ कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनका विवरण प्रदर्शित सूचना-विज्ञप्ति (Information Bulletin) में देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन, शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य पात्रता मानदंड आदि से सम्बन्धित विवरण: <https://www.doonuniversity.ac.in>/पर उपलब्ध सूचना-विज्ञप्ति में दिया गया है। यदि अभ्यर्थी ने विज्ञापित पदों में से किसी पद पर पूर्व में आवेदन किया हो और उस पद पर परीक्षा/ साक्षात्कार नहीं हो पाया तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः इन पदों पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा, यद्यपि ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल पूर्व में जमा शुल्क का प्रमाण बताना होगा। पूर्व में भरे गये आवेदन पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार उपर्युक्त वेबसाइट पर दिनांक 31.03.2023 (23:59 बजे तक) तक ऑनलाईन आवेदन भर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन हेतु लिंक : <https://doonuniversitynt.samarth.edu.in/>

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| विज्ञापन प्रकाशन की तिथि | : | 24-02-2023 |
| ऑनलाईन आवेदन की प्रारम्भ तिथि | : | 24-02-2023 |
| ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि | : | 31.03.2023 (23:59 बजे तक) |

कुलसचिव

सूचना विज्ञप्ति

विज्ञापित पदों की स्थिति

| Sl. No. | Name of the Post | Pay Matrix (in Rs.) | No. of Posts and Category | | | | | |
|---------|---------------------------|--|---------------------------|----|-----|-----|----|-----------|
| | | | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total |
| 1 | वैयक्तिक सहायक | 35400.00 – 112400.00 (Level – 6) | 02 | - | 01 | 01 | 05 | 09 |
| 2 | कनिष्ठ सहायक | 19900.00 – 63200.00 (Level – 2) | 03 | 01 | 02 | 02 | 10 | 18 |
| 3 | पुस्तकालय सहायक | 19900.00 – 63200.00 (Level – 2) | 01 | - | - | - | 01 | 02 |
| 4 | स्टोर कीपर | 19900.00 – 63200.00 (Level – 2) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 5 | डाटा ऐन्ट्री आपरेटर | 21700.00 – 69100.00 (Level – 3) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 6 | प्रयोगशाला सहायक | 19900.00 – 63200.00 (Level – 2) | 02 | - | 01 | 01 | 05 | 09 |
| 7 | स्वागती | 19900.00 – 63200.00 (Level – 2) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 8 | कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) | 35400.00 – 112400.00 (Level – 6) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 9 | तकनीकी अधिकारी | 56100.00 – 177500.00 (Level – 10) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 10 | जन सम्पर्क अधिकारी | 56100.00 – 177500.00 (Level – 10) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 11 | सहायक सम्पर्क अधिकारी | 21700.00 – 69100.00 (Level – 3) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 12 | छात्रावास सहायक | 19900.00 – 63200.00 (Level – 2) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 13 | प्लम्बर | 19900.00 – 63200.00 (Level – 2) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 14 | प्रोग्रामिंग असिसटैन्ट | 35400.00 – 112400.00 (Level – 6) | - | - | - | - | 01 | 01 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------|--|----|----|----|----|----|----|
| 15 | जूनियर सिस्टम ऐनालिस्ट | 35400.00 – 112400.00 (Level – 6) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 16 | सीनियर सिस्टम ऐनालिस्ट | 57,700.00 to 1,82,400.00 (Level – 10) 6 th CPC - GP Rs. 6000.00 | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 17 | कार्यशाला सहायक | 18000.00 – 56900.00 (Level – 1) | - | - | - | - | 01 | 01 |
| 18 | एम0टी0एस0 | 18000.00 – 56900.00 (Level – 1) | 01 | - | - | - | 04 | 05 |
| कुल पद | | | 09 | 01 | 04 | 04 | 38 | 56 |

नोट :

1. अन्तिम प्रक्रिया तक रिक्तियों की संख्या बढ़ाई अथवा घटायी जा सकती है।
2. **Abbreviations:** SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जन जाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, UR = सामान्य, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। केवल उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण-पत्र धारक ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का लाभ लेने के लिये अर्ह हैं।
3. विज्ञापित सभी पद राज्य सरकार से दिनांक 28.02.2023 तक स्वीकृत हैं। ये पद राज्य सरकार द्वारा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित हैं। यद्यपि पदों के निरन्तर रहने की सम्भावना है।
4. इस विज्ञापित द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में किसी भी पद की चयन प्रक्रिया को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अथवा सम्पूर्ण विज्ञापित पदों की विज्ञापित को बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की आफलाइन (**Offline**) परीक्षा आयोजित करायी जायेगी। प्रतियोगी परीक्षा के सम्बन्ध में छः माह का समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दिये गये ई-मेल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापित के सभी प्राविधान व शर्तें तथा अन्त में दिये गये निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें।

विज्ञापित पदों की विस्तृत जानकारी एवं अन्य विवरण

1. पद नाम – वैयक्तिक सहायक (Personal Assistant)

कुल पद– 09

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य (UR) | योग |
| वैयक्तिक सहायक | 02 | | 01 | 01 | 05 | 09 |

(ii) वेतनमान:- 35400.00 – 112400.00 (Level – 6)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक गति और हिन्दी टंकण में कम्प्यूटर पर 4000 की-डिप्रेसन प्रति घण्टा न्यूनतम गति।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type with multiple choice)की दो घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न-पत्र होगा। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

आशुलिपि परीक्षा क्वालीफाइंग प्रकार की होगी, जिसमें हिन्दी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 Key Depressions प्रति घण्टे की गति अनिवार्य है। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। मेरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं आशुलिपि में प्राप्त अंको को जोड़कर बनाई जायेगी। चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर रखा जायेगा।

2. पद नाम – कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant)

कुल पद– 18

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| कनिष्ठ सहायक | 03 | 01 | 02 | 02 | 10 | 18 |

(ii) वेतनमान:- 19900.00 – 63200.00 (Level – 2)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य

परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन्स की डाटा एन्ट्री की गति।

अधिमानी अर्हताएं- स्नातक/ स्नातकोत्तर।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type with multiple choice)की दो घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न-पत्र होगा। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

3. पद नाम – पुस्तकालय सहायक (Library Assistant)

कुल पद- 02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| पुस्तकालय सहायक | 01 | | | | 01 | 02 |

(ii) वेतनमान:- 19900.00 – 63200.00 (Level – 2)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:-

- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।
- केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र।
- कम्प्यूटर में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन्स की डाटा एन्ट्री की गति

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type with multiple choice)की दो घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सम्बन्धित विषय एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी का एक प्रश्न-पत्र होगा। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

4. पद नाम – स्टोर कीपर (Store Keeper)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| स्टोर कीपर | | | | | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 19900.00 – 63200.00 (Level – 2)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा की डाटा एन्ट्री की गति।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type with multiple choice)की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी का एक प्रश्न-पत्र होगा। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

5. पद नाम – डाटा ऐन्ट्री आपरेटर (Data Entry Operator)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| डाटा ऐन्ट्री आपरेटर | | | | | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 21700.00 – 69100.00 (Level – 3)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 तथा अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 150 अंकों की परीक्षा होगी:-

1. 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type with multiple choice)की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी का एक प्रश्न-पत्र होगा। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

2. कम्प्यूटर परिचालन का ज्ञान:-

(एक) हिन्दी टंकण – 25 अंकों का।

(दो) अंग्रेजी टंकण – 25 अंकों का।

6. पद नाम – प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant)

कुल पद- 09

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| प्रयोगशाला सहायक | 02 | | 01 | 01 | 05 | 09 |

- (ii) वेतनमान:- 19900.00 – 63200.00 (Level – 2)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।
- (v) अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से विज्ञान विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।

अधिमानी अर्हताएं-

1. विज्ञान प्रयोगशाला विषय से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि।
2. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रमाण-पत्र।

- (vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, विज्ञान (भौतिक विज्ञान/ रसायन विज्ञान/ बायोलोजी) तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

7. स्वागती (Receptionist)

कुल पद- 01

- (i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| स्वागती | - | - | - | - | 01 | 01 |

- (ii) वेतनमान:- 19900.00 – 63200.00 (Level – 2)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।
- (v) अर्हता:- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसकी कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 एवं अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 8000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति हो और जिसे किसी सरकारी या प्रतिष्ठित अधिष्ठान में स्वागतकर्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।
- (vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-
1. 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र होगा। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।
 2. कम्प्यूटर परिचालन का ज्ञान:-
(एक) हिन्दी टंकण – 25 अंकों का।
(दो) अंग्रेजी टंकण – 25 अंकों का।

8. कनिष्ठ अभियन्ता – विद्युत (Junior Engineer – Electric)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| कनिष्ठ अभियन्ता – विद्युत | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 35400.00 – 112400.00 (Level – 6)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्युत यांत्रिक में 03 वर्ष का डिप्लोमा। तथा विश्वविद्यालय अथवा किसी शासकीय उपक्रम स्तर की संस्था में 33 के.वी.ए. व 11 के.वी.ए. के विद्युत स्टेशनों, जेनरेटर, सेन्ट्रल एयर कन्डीशनिंग सिस्टम आदि का संचालन व विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के रखरखाव कार्य का न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

9. तकनीकी अधिकारी (Technical Officer)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| तकनीकी अधिकारी | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 56100.00 – 177500.00 (Level – 10)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:-

1. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान में निष्णांत (M. Sc.)/ M. Tec. उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।
2. विज्ञान (प्रायोगिक) विषय में पीएच.डी. उपाधि प्राप्त की हो।
3. 03 वर्षों का प्रयोगशाला उपकरणों के रखरखाव/ संचालन में कार्य अनुभव।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

15 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर एक स्क्रीनिंग परीक्षा की जायेगी जिसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with

Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। योग्यता सूची के प्रथम 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। तथा साक्षात्कार के आधार पर 01 अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। 15वें स्थान पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आने पर उन्हें भी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा

10. जन सम्पर्क अधिकारी (Public Relation Officer)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य (UR) | योग |
| जन सम्पर्क अधिकारी | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 56100.00 – 177500.00 (Level – 10)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर की उपाधि।
2. किसी विश्वविद्यालय/ शिक्षण संस्थान एवं राजकीय उपक्रम में पांच वर्ष का अनुभव अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत।
3. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

15 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर एक स्क्रीनिंग परीक्षा की जायेगी जिसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। योग्यता सूची के प्रथम 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। तथा साक्षात्कार के आधार पर 01 अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। 15वें स्थान पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आने पर उन्हें भी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

11. सहायक सम्पर्क अधिकारी (Assistant Liaison Officer)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| सहायक सम्पर्क अधिकारी | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 21700.00 – 69100.00 (Level – 3)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

12. छात्रावास सहायक (Hostel Assistant)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| छात्रावास सहायक | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 19900.00 – 63200.00 (Level – 2)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।
2. कम्प्यूटर पर हिन्दी में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा की डाटा ऐन्ट्री की गति।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

13. प्लम्बर (Plumber)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| प्लम्बर | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 19900.00 – 63200.00(Level – 2)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्लम्बर ट्रेड में आई0टी0आई उत्तीर्ण।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

14. प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (Programming Assistant)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| प्रोग्रामिंग असिस्टेंट | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 35400.00 – 112400.00 (Level – 6)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0सी0ए0 / बी0एससी0 कम्प्यूटर सांइस 'आनर्स' / बी0टैक0 कम्प्यूटर सांइस / बी0टैक0 आई0टी0 की उपाधि तथा किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / अन्य संस्थान में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव।

अथवा

एम0सी0ए0 की उपाधि एवं किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / अन्य संस्थान में न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

15. जूनियर सिस्टम ऐनालिस्ट (Junior System Analyst)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति :-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| जूनियर सिस्टम ऐनालिस्ट | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 35400.00 – 112400.00 (Level – 6)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(v) अर्हता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0सी0ए0 / बी0एससी0 कम्प्यूटर सांइस 'आनर्स' / बी0टैक0 कम्प्यूटर सांइस / बी0टैक0 आई0टी0 तथा किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / अन्य संस्थान में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव।

अथवा

एम0सी0ए0 की उपाधि एवं किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ अन्य संस्थान में न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

16. सीनियर सिस्टम ऐनालिस्ट (Senior System Analyst)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य (UR) | योग |
| सीनियर सिस्टम ऐनालिस्ट | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 57,700.00 to 1,82,400.00 (Level – 10) 6th CPC GP Rs. 6000.00

(iii) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।

(iv) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(v) अर्हता:-

M.Tech (C.S./Electronic/IT) with at least 5 Years of experience. **Or** B. Tech. (C.S./Electronic/IT) with at least 7 Years of experience. **Or** M.C.A. with at least 5 years' experience. **Or** M.Sc. (IT/CS) with at least 7 years of experience

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

15 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर एक स्क्रीनिंग परीक्षा की जायेगी जिसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। योग्यता सूची के प्रथम 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। तथा साक्षात्कार के आधार पर 01 अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। 15वें स्थान पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आने पर उन्हें भी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

17. कार्यशाला सहायक (Workshop Assistant)

कुल पद- 01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| कार्यशाला सहायक | - | - | - | - | 01 | 01 |

(ii) वेतनमान:- 18000.00 – 56900.00(Level – 1)

- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।
- (v) अर्हता:- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया:-
- चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

18. बहुउद्देशीय कर्मी (M.T.S)

कुल पद- 05

- (i) रिक्तियों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति:-

| पद नाम | लम्बवत आरक्षण | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | अ0जा0 (SC) | अ0ज0जा0 (ST) | अ0पि0व0 (OBC) | आ0क0व0 (EWS) | सामान्य(UR) | योग |
| बहुउद्देशीय कर्मी | 01 | - | - | - | 04 | 05 |

- (ii) वेतनमान:- 18000.00 – 56900.00 (Level – 1)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित एवं आयोजनागत बजट में स्वीकृत तथा निरन्तरता की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापित।
- (v) अर्हता:- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया:-
- चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।

19. लिखित प्रतियोगी परीक्षा:-

- (i) सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।
- (ii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक दिया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तर के लिए दण्ड स्वरूप ऋणात्मक मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

- (v) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।
- (vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा।
- (vii) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/ छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है, तो उन्हें उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा एवं 1/4 ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जायेगा।
- (viii) अभ्यर्थी अपनी ओ0एम0आर शीट में गलत रोल नम्बर अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ0एम0आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (ix) अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यांत्रिक है व OMR पद्धति पर है। ऐसे में किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प पर चिन्ह अंकित होना या छोटा बिन्दु आ जाना या कोई और निशान हो जाने से उनका उत्तर गलत हो सकता है। अतः OMR Sheet को अत्यंत सफाई से अंकित करें व OMR Sheet को अत्यंत स्वच्छ रखें।

20. आयु:-

आयु गणना की निश्चयायक तिथि 01 जुलाई, 2022 है।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

21. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/ अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग'के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग'के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

22. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. राष्ट्रियता:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों,

केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी का (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारी की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

24. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

25. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

26. शारीरिक स्वस्थता:-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त-पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

27. आरक्षण:-

1- ऊर्ध्व आरक्षण- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

2- क्षेत्रीय आरक्षण- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षेत्रीय आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

3-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।

1. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19% उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।
 2. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30% उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02% दिव्यांगजनों के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों के लिए 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
 3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
 4. क्षैतिज या उर्ध्व कोई भी आरक्षण हेतु राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को आनलाईन आवेदन पत्र में संबंधित आरक्षण श्रेणी के साथ-साथ अधिवास (Domicile) विकल्प का चयन करना होगा व संबंधित कटन को क्लिक करना होगा, अन्यथा वे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पायेंगे।
28. ऑनलाईन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-
1. सर्वप्रथम दून विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट <https://www.doonuniversity.ac.in/> पर आनलाईन आवेदन करने के लिए जायें। इसके पश्चात समर्थ पोर्टल पर [Click](#) करें।
 2. आवेदन करने/ भरने से पहले आप वेबसाइट पर दिये गये विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसके पश्चात इसके पश्चात [Click here to Apply](#) पर क्लिक करें, और फिर “Candidate Registration” पर अपना नाम, मोबाइल नम्बर एवं ईमेल भर कर रजिस्ट्रेशन करें।
 3. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आपको आवेदन शुल्क आनलाईन जमा करना है।
 4. ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटी को शुल्कजमा करने से पहले ही सही किया जा सकता है। उम्मीदवार शुल्क जमा होने के बाद आवेदन submit होने पर अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते। अतः शुल्क जमा करने के पूर्व सावधानी पूर्वक आवेदन-पत्र की प्रत्येक प्रविष्टि की जांच कर लें।
 5. शुल्क जमा करने के पश्चात आप अपने द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की प्रति एवं शुल्कजमाकी रसीद प्रिंट कर सकते हैं।
 6. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।

29. शुल्क:-

ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा/ करेगी। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (Net Banking/Debit/Credit Card)के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

| क्र०सं० | श्रेणी | शुल्क |
|---------|---|----------------|
| 01 | अनारक्षित (सामान्य)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग | रु० 300/-मात्र |
| 02 | उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०) | रु० 150/-मात्र |
| 03 | उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०) | रु० 150/-मात्र |

| | | |
|----|--|----------------|
| 04 | उत्तराखण्ड दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | रु0 150/-मात्र |
|----|--|----------------|

नोट:- निर्धारित तिथि तक शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

1. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “ONLINE APPLICATION” प्रक्रिया में “Submit” बटन को “Click” करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में विश्वविद्यालय से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी चयन की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/ प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत अद्यतन प्रचलित नियमों/ परिनियमावली/ मैनुअल्स/ मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
6. विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को प्रचलित नियमों तथा विज्ञापन के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा। प्रचलित नियमों तथा विज्ञापन से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
7. अभिलेख सत्यापन के समय विश्वविद्यालय अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई शैक्षिक अर्हताओं का मिलान अभ्यर्थी के पास धारित मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्रों से करेगा। इन प्रमाण-पत्रों का विधिवत सत्यापन नियोक्ता द्वारा नियुक्त प्रक्रिया के दौरान किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के उपरांत ही किसी अभ्यर्थी के अभ्यर्थन का निर्णय होगा।
8. यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया

जाएगा।

9. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उसी दिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।
11. अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:—परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
12. परीक्षा भवन में आचरण:— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैनात स्टाफ को पेशाना ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाए। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया जायेगा।
13. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्व:प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
14. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/ जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्षा में प्रतिबंधित इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।
15. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि विश्वविद्यालय को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। नियुक्ति का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।
16. परीक्षा केंद्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/ शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

17. लिखित प्रतियोगी प्ररीक्षा में प्राप्त अंकों से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।
18. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://www.doonuniversity.ac.in/> का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
19. इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभाँति देखकर आवेदन करें। आवेदन-पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करते हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं कि जायेगी तथा इस चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।
20. आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता, आरक्षण आदि को सावधानीपूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/ संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है।
21. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन-पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों तथा समस्त प्रमाण-पत्र स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए।
22. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण-पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण संबंधी) के आधार पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से प्रतिबाधित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।
23. परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी विश्वविद्यालय की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
24. आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी, आयु या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
25. अलग-अलग पदों में आवेदन करने हेतु पृथक-पृथक आवेदन तथा पृथक-पृथक शुल्क भी जमा किया जाना होगा।
26. लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://www.doonuniversity.ac.in/> से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना दैनिक समाचार-पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति, विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
27. अभ्यर्थी को परीक्षा/ टंकण परीक्षा हेतु की गई यात्राओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

कुलसचिव

